रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238956
CG-DL-E-21092022-238956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
No. 634] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर,2022

सा.का.नि. 715(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1) में, परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यह और कि कोई कंपनी, जिसकी धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार, अपने अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में, किसी प्रकार की राशि है तो वह सीएसआर समिति का गठन करेगी और उक्त धारा की उपधारा (2) से (6) में निहित उपबंधों का अनुपालन करेगी।”;

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात:-

‘(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा की सीएसआर कार्यकलाप स्वयं कंपनी द्वारा अथवा निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे,-

(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ कंपनी के साथ स्थापित हो; अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी; अथवा

(ग) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई इकाई; अथवा

(घ) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी तथा जिसका समान कार्यकलाप करने में कम से कम तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड स्थापित हो।

स्पष्टीकरण.- खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, “इकाई” पद से अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलाप करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय होगा, अभिप्रेत है।’।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ग) में,-

(i) “पाँच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “दो प्रतिशत” शब्दों को रखा जाएगा।

(ii) “जो भी कम हो” शब्दों के स्थान पर “जो भी अधिक हो” शब्दों को रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों में, उपाबंध-II के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात:-

“उपाबंध-II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में यदि लागू हो, निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का अधिशासी सारांश वेब लिंक के साथ प्रदान करें।

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की गई अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

(ङ) वित्तीय वर्ष [(ख)+(ग)-(घ)] के लिए कुल सीएसआर दायित्व।

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) पर व्यय की गई राशि।

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय की गई राशि।

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।

(घ) वित्तीय वर्ष [(क) + (ख) + (ग)]के लिए व्यय की गई कुल राशि ।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि। (रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	ब्यौरा	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तारीख		
1	वित्त वर्ष-1							
2	वित्त वर्ष-2							
3	वित्त वर्ष-3							

8. क्या किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित किया गया है:

○ हाँ ○ नहीं

यदि हां, तो सृजित / अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से इस तरह बनाई गई या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्ति (ओं) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) के लघु विवरण [संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	रजिस्ट्रीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	रजिस्ट्रीकृत पता

(सभी क्षेत्रों को उसी प्रकार दर्शाया जाना चाहिए जैसाकि राजस्व रिकार्ड में दर्शाया गया है, फ्लैट सं., मकान सं., नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये तथा अचल संपत्तियों के क्षेत्र के साथ-साथ उसकी सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण (णों) को निर्दिष्ट करें।

ह./- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधन निदेशक या निदेशक)।	ह./- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)।	ह./- [धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो)।"।

6. **उक्त नियमों में, ई-प्ररूप सीएसआर-1 में,** क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. * इकाई का स्वरूप

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक)के अधीन छूट प्राप्त और जो धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी ।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 10 के खंड (23ग) उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई।"।

[ई-फा. सं. 05/03/2022-सीएसआर]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड **(i)** में तारीख 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 12 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015 की सा.का.नि. 43(अ), तारीख 23 मई, 2016 की सा.का.नि 540(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2015 की सा.का.नि 895 (अ), तारीख 24 अगस्त 2020 की सा.का.नि 526(अ) और तारीख 22 जनवरी, 2021 की सा.का.नि 40(अ) के द्वारा पश्चातवर्ती में संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

G.S.R. 715(E).— In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy)** Amendment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -

   (i) in sub-rule (1), after the proviso, the **following proviso shall be inserted, namely: -**

   "Provided further that a company having any amount in its Unspent Corporate Social Responsibility Account as per sub-section (6) of section 135 shall constitute a CSR Committee and comply with the provisions contained in sub-sections (2) to (6) of the said section.";

   (ii) **sub-rule (2) shall be omitted.**

3. In the said rules**, in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -**

   '(1) The Board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through, –

   (a) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 or registered under section 12A and approved under 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company; or

   (b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

   (c) any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

   (d) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 or registered under section 12A and approved under 80 G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

   Explanation.- For the purpose of clause (c), the term "entity" shall mean a statutory body constituted under an Act of Parliament or State legislature to undertake activities covered in Schedule VII of the Act.'.

4. **In the said rules, in rule 8, in sub-rule (3),** in clause (c),-

   (i) for the words "five percent", the words "two per cent." shall be substituted;

   (ii) for the words "whichever is less", the words "whichever is higher" shall be substituted.

5. **In the said rules, for Annexure-II, the following Annexure shall be substituted, namely:-**

"ANNEXURE -II

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL YEAR COMMENCING ON OR AFTER THE 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. Brief outline on CSR
   Policy of the Company:

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	**Name of Director**	**Designation / Nature of Directorship**	**Number of meetings of CSR Committee held during the year**	**Number of meetings of CSR Committee attended during the year**

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable.

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135.

(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135.

(c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years.

(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any.

(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)].

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project).

(b) Amount spent in Administrative Overheads.
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable.
(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)].

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	**Amount Unspent (in Rs.)**				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		**Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.**		
	Amount.	**Date of transfer.**	**Name of the Fund**	**Amount.**	**Date of transfer.**

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	**Particular**	**Amount (in Rs.)**
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	Date of Transfer		
1	FY-1							
2	FY-2							
3	FY-3							

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

○ Yes ○ No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	**Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]**	**Pincode of the property or asset(s)**	**Date of creation**	**Amount of CSR amount spent**	**Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	**Name**	**Registered address**

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135.

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380] (Wherever applicable).".

6. In the **said rules, in the e-form CSR–1,** for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely**:-**

"1. *Nature of the entity

- Company established under section 8, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Company established under section 8, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Registered public trust, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Registered public trust, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Registered society, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- Company established under section 8 or registered Trust or registered Society established by the Central Government or State Government.
- Entity established under an Act of Parliament or State Legislature.".

[E-F. No. 05/03/2022-CSR]

INDERDEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The **principal rules** were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and subsequently amended by notification numbers G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, G.S.R. 540(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018, G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020 and G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.21 16:56:04 +05'30'